

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर
पीठासीन अधिकारी- सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

दावा संख्या 17/2022

1. राजेन्द्र पुत्र छोटूराम उम्र 35 वर्ष जाति गवारिया निवासी बालाजी नगर, जयपुर रोड
सीकर, तहसील व जिला सीकर

-वादी-

बनाम


1. मीरा देवी पत्नी जगदीश प्रसाद जाति रेगड़ निवासी वार्ड नं0 8 पालवास रोड सीकर,
तहसील व जिला सीकर ।

2. तहसीलदार, सीकर

- प्रतिवादीगण -

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम ।

तहसीलदार सीकर के विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 2734/भू0अ0/2022
दिनांक 13.6.2022 के अनुसार एवं वकील वादी की सहमति से अंतिम डिक्री दी जाती
है। विभाजन प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेश डिक्री का भाग रहेगा।


(गरिमा लाटा)

उपखण्ड अधिकारी सीकर


उपखण्ड अधिकारी- सीकर

वादी

वाद के खर्चे

	वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प				
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प				
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प				
4. रुपये पर प्लीडर की फीस	5.00			
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय				
6. कमिश्नर की फीस				
7. आदेशिका की तामिल				
जोड़	36.00		36.00	
	41.00		36.00	

आज तारीख 15.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


 उपखण्ड अधिकारी सीकर
 उपखण्ड अधिकारी- सीकर